Project

on

Name – Ku. Ritu Panda

I year

Year 2021 - 2022

प्राचार्य
वि. च. गु. शा. महा. पुसौर
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

Guided By
Prof. H.P. Chouhan

Submitted By
Ku. Ritu Panda
B.A. I

Index

S. No.	Particulars	Page No.
1	अपने परिवेश में जैव विविधता के खतरों एवं कारणों की विवेचना करना तथा मानव वन्य जीवन के संघर्ष की व्याख्या करना -	
2	प्रदूषण निवारण में व्यक्ति की विशेष भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णना किजिए -	
3	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की व्याख्या किजिए -	

Roll No.

Date

उद्देश्य –

अपने परिवेश में जैव विविधता के खतरों एवं कारणों की विवेचना करना तथा मानव वन्य जीवन के संघर्ष की व्याख्या करना –

जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग निर्मित शब्द है जो आम तौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तन शीलता को प्रदर्शित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैवविविधता (biodiversity) विशिष्टतया अनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का स्तर मापना है।

जैव विविधता का अभिप्राय सम्पूर्ण विश्व में पाये जाने वाले जीवों में परिवर्तनशीलता से है। यह प्रवृत्ति सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों तथा विशिष्ट दशाओं के बीच प्रजातियों में पायी जाती है। इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि जैव-विविधता प्रजाति की संपन्नता है, जो किसी स्थान (आवास) के पौधों, जन्तुओं सूक्ष्मजीवों आदि में पायी जाती है।

जैव विविधता दो विपरीत या विरोधाभाषी क्रियाओं का परिणाम होती है। ① वे क्रियाएँ जो नये जीनोटाइप का निर्माण करती है तथा ② वे क्रियाएँ जो म्यूटेशन को निष्कासित करती हैं।

Roll No.

Date

जैव विविधता या जीव भिन्नता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजातियों को कहते हैं जो अपने - अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पायी जाती हैं। इसमें पेड़ - पौधे, सुक्ष्म - जीव, पशु - पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित हैं।

उदाहरण के लिए जैसे कि अगर हम रेगिस्तान में पौधों को देखेंगे तो वहाँ अलग मिलेंगे जीव अलग मिलेंगे, वहाँ के जानवर अलग मिलेंगे और अगर हम जलीय क्षेत्रों में जीवों को देखते हैं, तो वहाँ के जीव जंतु पौधे अलग - अलग विभिन्नताएँ देखने को होती है, यही जैव विविधता कहलाती है।

"ई. ओ. विल्सन को जैवविविधता का जनक कहा जाता है।-

भारत में जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता अभिकरण (NBA) की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के लिए मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करना है।

Roll No.

Date.

जैव विविधता पर खतरों के कारण -

जैव विविधता को नष्ट करने के में सहयोगी कारक निम्न है जो मानवीय गतिविधियों से संबंधित है, अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वायु प्रदुषण, जल प्रदुषण, मृदा एंव ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। ये सभी कारक अधिक जनसंख्या से जुड़े हैं, जो जैव विविधता के ऊपर संयुक्त रूप से प्रभाव डालते है।

अति चराई शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में चराई जैव विविधता क्षरण का एक प्रमुख कारक कारण है। भेड़ बकरियों तथा शाकभक्षी पशुओं द्वारा चराई के कारण पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुँचता है। अधिक चराई के कारण पौधों का प्रकाश संश्लेषण वाला भाग नष्ट हो जाता है जिससे पौधे नष्ट होजाते है।

मानव ने अपने विकास के लिए औद्योगिकरण के लिए असंबंध असंख्य प्राणियों व पेड़-पौधों को नष्ट कर दिया जिसके प्रमुख कारण निम्न है-

① आवासीय क्षति →

जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण वनों के विनाश के कारण बने जिनके उजड़ने से हजारों पशु पक्षियों व प्राणियों का बसेरा ही खत्म हो गया और इस प्रकार उनका अस्तित्व ही खतरों में आ गया। कई प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर है या लुप्त हो चुकी है।

Roll No.

Date.

② वन्य जीवन का अवैधानिक शिकार →

हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे - भोजन आदि के लिए तो प्राकृतिक सम्पदा आधार है, पर हमारे स्वार्थ व लालच के आगे सींग, नाखून, चमड़ा, हाथी दाँत जैसी वस्तुओं के बहुमूल्य होने से इन्हें प्राप्त करने की लालच में व पैसे कमाने की लालच में मजबूर असाह असहाय मासूम जानवर अपनी जान दे कर चुका रहे है।

प्रतिबंधित होने पर भी इनका शिकार बरसों से हो रहा है व हिरण, बाघ, बारहसिंगा सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। कालाहिरण मगर, कछुएँ, विषहीन सर्प, सुअर, शेर, बाघ चिता हो या पक्षियों की प्रजातियाँ लुप्त हो रही है जिनका संरक्षण आवश्यक है।

③ व्यापारिक शोषण →

जैव विविधता का व्यापारिक अर्था इनका अत्यधिक दोहन या उपयोग आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली जातियों के विलुप्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रायोगिक उद्देश्य के लिए जन्तुशास्त्रीय अनुसंधान भी जैव विविधता में अवरोध उत्पन्न करना है।

④ प्रदुषण →

वर्तमान में प्रदुषण जीवित जीवों अस्तित्व के लिए एक गम्भिर खतरा है। पृथ्वी, जल तथा आकाश में विचरण करने वाले

Roll No.

Date

जीवों की अनेक जातियों पर प्रदूषण का घातक परिणाम है। इस कारण उनके विलुप्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

⑤ वन-नाशन →

मुख्य रूप से वन-नाशन जनसंख्या के स्थापन कृषि के स्थान को बदलने विकासात्मक परियोजनाओं को आरंभ करने जलाऊ लकड़ी की माँग की पूर्ति के लिए किया जाता है। हमारे देश में वन-नाशन की दर 13,000 वर्ग कि॰मी वार्षिक है। यदि इसी दर के आधार पर वन-नाशन किया जाना है तो हम जैव विविधता की सही तस्वीर क्या होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

✿ मानव वन्य जीवन के संघर्ष –

मानव वन्य जीवन संघर्ष (HWC) उन संघर्षों को प्रदर्शित करना है जो स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या जरूरतों के लिए वास्तव में या प्रत्यक्ष आवर्ती खतरों का कारण बनता है जिसके कारण लोगों जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मानव वन्यजीवन संघर्ष से संबंधित मौतों में विश्व की जंगली बिल्ली (बाघ, शेर, चीता व तेंदुआ आदि) प्रजातियों की 75% से अधिक है तथा कई अन्य स्थलीय एवं समुद्री मांसाहारी

Roll No.

Date

प्रजातियाँ जैसे ध्रुवीय भालू, भूमध्यसागरीय जोक सील एवं आदि प्रभावित करते हैं।

मानव वन्य जीवन संघर्ष के कारण -

मानव वन्य जीवन संघर्ष के निम्न कारण हैं -

① संरक्षित क्षेत्र का अभाव →

समुद्री और स्थानीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर पर केवल 7.67% हिस्से को केवल कवर करते हैं। अफ्रीकी शेर के लगभग 40% और अफ्रीकी एवं एशियाई हाथी रेंज के 70% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं।

★ वर्तमान में भारत के 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बहार हैं।

② वन्य जीवन जनित संक्रमण →

एक जूनोटिक बिमारी से उत्पन्न कोविड-19 महामारी लोगों के पशुओं और वन्यजीवों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव तथा जंगली जानवरों के अनियंत्रित उपभोग से प्रेरित हैं।

★ जानवरों और लोगों के बीच घनिष्ठ लगातार तथा विविध संपर्क के चलते पशु सेमापु रोगाणुओं के लोगों में स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ जाती हैं।

Roll No.

Date

अन्य कारण -

① शहरीकरण →

आधुनिक समय में तेजी से हो रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण ने वन भूमि को और गैर-वन उद्देश्यों वाली भूमि में परिवर्तन कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों के आवास क्षेत्रों में कमी आयी रही है।

② परिवहन नेटवर्क →

वन शृंखलाओं के माध्यम से सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के परिणामस्वरूप सड़को या रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं।

— o —

Roll No.

Date

उद्देश्य 2 -

प्रदुषण निवारण में व्यक्ति की विशेष भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णना करना —

सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य ने पर्यावरण को ~~अग्नि~~ हानि पहुँचाने का प्रयास किया है तथा पर्यावरण संतुलन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा तकनीकि उन्नति है। अब यह विकासशील देशों में गंभीर समस्या के रूप में खड़ा है। आज प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह गंभीर पर्यावरण प्रदुषण से पर्यावरण की रक्षा करें।

मनुष्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह पारिस्थितिक तंत्र संतुलन को सही तरीके से बरकरार रखे तथा उसे सदैव इस संबंध में रूपांतरित प्रयासों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरणों के स्वरूप कुछ पारिस्थितिक सिद्धांतों को अपनाकर जैसे कृषि एंव जैविक सर्वे, प्रबंधन, पीड़कों का नियंत्रण विज्ञान एंव मूल्य जीव-विज्ञान की समायोजित व स्वस्थ विकास की दिशा में यशोचित उपाय करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब यह समान रूप से आवश्यक हो गया है कि मनुष्य संबंधित स्त्रोत का सरक्षण करने का सरसक प्रयास करें एंव मृदा, वन वन्य जीवन, जल आपूर्ति या मत्स्य स्त्रोतों का सम्यक तरीके उसे उपयोग करें।

औद्योगिक निकास जैसे - धुआँ, औद्योगिक कूड़ा-कचरा, जो प्रदुषण का मुख्य

Roll No.

Date

होता है वो नियंत्रण आधुनिक विधियों के द्वारा करना चाहिए। विकास का उचित तरीके से पुनर्चक्रण करना चाहिए।

स्वचालित वाहनों के धुओं के प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए उन्नत किस्म के इंजनों वाले वाहनों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इस ओर अपनाये गये प्रयासों से तीन मुख्य प्रदूषक जैसे - कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड एंव हाइड्रोकार्बन की मात्रा को काफी कम किया जा सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार के विकास द्वारा स्त्रोत की पूर्ति की सीमा नहीं लाघंनी चाहिए।

अनेक बायोस्फियर संरक्षित कार्यक्रम बनाये गये हैं तथा प्रदूषण के नियंत्रण एंव रोकथाम हेतु बनाये गये कानून सरकारों के द्वारा पर्यावरण विघटन से बचने के लिए बनाये गये हैं कुछ संगठन पहले से ही पर्यावरण की रक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं।

यह बहुत आवश्यक है कि जनसाधरण को पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में सचेत किया जाये। हमें इस बात का ~~प्रयास~~ अहसास होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व एंव जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता पर कितना निर्भर है? यह चेतना निम्न तथ्यों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है -

(1) शिक्षण एंव प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके।

(2) आधारभूत एंव व्यवहारिक अनुसंधान एंव प्रबंधन को प्रोत्साहन एंव सुविधा प्रदान करके।

Roll No.

Date

③ जीवित स्रोतों के विश्वसनीय प्रबंधन की व्याख्या करके।

④ किसी भी प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों का संग्रह तथा उनके पुनर्चक्रण की व्यवस्था करके।

⑤ वनों को बरकरार रखने के ~~अवशिष्ट~~ अधिक वृक्षारोपण की व्यवस्था करके।

⑥ पर्यावरण के समस्याओं की पहचान एंव उनका चतुराई से समाधान करके।

⑦ पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का जनभागीदारी के द्वारा समाधान करके।

⑧ पौधों की वृद्धि एंव विकास के पर्यावरण उद्देश्य के आशय को समझकर।

⑨ पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का स्थानिक राष्ट्रीय एंव अंतराष्ट्रीय स्तर पर समाधान करके।

⑩ पर्यावरण के बारे में अध्ययन एंव अध्यापन की व्यवस्था प्रदान करके।

⑪ परिक्षार्थियों को अपने द्वारा अर्जित किये गये ज्ञान के आधार पर अपने निर्णय एंव समस्याओं के समाधान हेतु अवसर प्रदान करके।

— o —

Roll No. Date

उद्देश्य ③ -

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की व्याख्या करना -

प्राक्कथन -

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993. इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम, जम्मू कश्मिर राज्य को छोड़कर के केवल वहाँ तक लागू होगा जहाँ तक इसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची या ~~सूकी~~ सूची 3 में प्रगणित प्रविशिष्टियों में से ~~किसी~~ किसी से संबंधित विषयों से है।

परिभाषाएँ →

① (क) सशस्त्र बल से नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है।

(ख) अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग ~~का~~ या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है

(ग) आयोग से धारा 3 के अधिन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अभिप्रेत है।

(घ) मानवाधिकारी से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से ~~सं~~ संबंधित ऐसे

Roll No. Date

अधिकार अभिप्रेत है। जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गये हैं।

(ङ) मानवाधिकार (Human Rights) न्यायालय से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मान अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है।

(च) अंतर्राष्ट्रिय प्रसंविदा से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसम्बर 1966 को अंगीकार की गई। सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई। ऐसी प्रसंविदा या अभिसमय जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है।

सदस्य से ये यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है।

(छ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग अभिप्रेत है।

(ज) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338 में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है।

(झ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338(क) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित

Roll No.

Date.

जनजाति आयोग अभिप्रेत है।

(~~ख~~)

(ट) राष्ट्रीय महिला आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधिन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है।

(ठ) अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(ड) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ढ) लोकसेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में है।

(ण) राज्य आयोग से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है।

(2)

इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया ~~जायेगी~~ जायेगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि कि यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

Roll No. Date

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(National rights human commission)

गठन -

① यह केन्द्रीय सरकार का एक निकाय है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न लिखित से मिलकर बना -

② (क) यह जो उच्चतम न्यायलय का न्यायधीश है या रहा है।

(ख) एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायलय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो।

(ग) एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायलय का न्यायधीश है या रहा है।

(घ) दो सदस्य ऐसे व्यक्ति नियुक्त होंगे जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है।

③ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अनुसुचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति अयोग के अध्यक्ष धारा 2 के खण्ड (ढ) से (ज) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जायेंगे।

Roll No.

Date

④ एक महासचिव होगा जो आयोग मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

⑤ आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

नियुक्त :—

राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों द्वारा प्राप्त होने के बाद की जायेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा →

(क) प्रधानमंत्री - अध्यक्ष
(ख) लोकसभा का अध्यक्ष - सदस्य
(ग) भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का भार साधक मंत्री - सदस्य
(घ) लोकसभा में विपक्ष का नेता - सदस्य
(ङ) राज्यसभा में विपक्ष का नेता - सदस्य
(च) राज्य का उपसभापति - सदस्य

Roll No.

Date

त्यागपत्र और हटाया जाना :—

अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित असमर्थता के आधार पर किये गये राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जायेगा, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्मित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है

पदावधि :—

इस पद पर ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करलेने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन को प्राप्त नहीं होगा।

— o —

प्राचार्य
वि. च. गु. शा. महा. पुसौर
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)